


शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र


1. नाम - सुबोध सिंह (SUBODH SINGH)
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) भदोही-ज्ञानपुर
3. वेतनमान - J 5- 144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-
-लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद
6. विज्ञप्ति की तिथि - 15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26 मई 2006 (उ०प्र०शासन नियुक्ति अनुभाग-4)
संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी०सी०-1
8. योगदान की तिथि - 21 जून 2006
9. जन्म तिथि - 04 फरवरी-1966
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 28 फरवरी 2006

मैं सुबोध सिंह पुत्र स्व० रमेश चन्द्र शास्त्री शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर 
नाम- सुबोध सिंह
पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ०टी०सी०) भदोही स्थान-ज्ञानपुर


घोषणा पत्र

मैं सुबोध सिंह, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) भदोही-ज्ञानपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर 
नाम- सुबोध सिंह
पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ०टी०सी०) भदोही स्थान-ज्ञानपुर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री सुबोध सिंह पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) भदोही स्थान ज्ञानपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।


कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
02/8/24